को कठोर करके नए रास्तों की खोज कर रही है"। द्विपक्षीय वार्तालाप के दौरान, कनाडा के प्रधान मंत्री को भारत में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों की जानकारी दी गई।

Quota of Rice to Kerala

1121. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal for increase in the quota of the rice to the State of Kerala;

(b) whether it is a fact that the State Government has sent any proposal thereto; and

(c) if so, the decision taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) to (c) The Central Government makes bulk allocation of rice to all States/UTs including Kerala on a month to month basis, based on the availability of stocks in the Central Pool, inter-se demand, offtake against allocated quantities and seasonal factors. Central Government has not received any proposal from Government of Kerala for increasing the overall monthly quota of rice

कोयला खान दुर्घटनाओं के संबंध में जांच प्रतिवेदन

1122. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1989 से 1995 के बीच कोयला खानों में हुई गंभीर दुर्घटनाओं के संबंध में जांच कार्य को अब तक पूरा नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन दुर्घटनाओं, जिनकी जांच पूरी कर ली गयी है और जिन दुर्घटनाओं की जांच अभी तक पूरी नहीं की गयी है, का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) और (ख) खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक ऐसी दुर्घटना जो प्राणघातक होती है, की खान सुरक्षा महानिदेशालय के किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों के दल द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है। विस्फोटकों अथवा शाफ्ट के मैन वाइन्डिंग आपरेशनों के कारण होने वाली कतिपय गम्भीर दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली गम्भीर शरीर चोट के मामलों की भी खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है। इसके अतिरिक्त कोयला खान विनियमन, 1957 के विनियम सं॰ 41(8) के अनुसार, संबंधित खान प्रबंधक के लिए सभी घातक और गम्भीर दुर्घटनाओं की जांच कराना अपेक्षित किया गया है।

दो दुर्घटनाओं, जो क्रमशः 25-1-94, और 26-9-95 को मै॰ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ के न्यू केन्डा कोयला खदान और मै॰ भारतकोकिंग कोल लि॰ को गजलीटांड कोयला खदान में घटी को छोड़कर सभी घातक दुर्घटनाओं की जांच पूरी की जा चुकी है। इन दुर्घटनाओं के लिए, सरकार ने, खान अधिनियम, 1952 की धारा 24(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घटनाओं के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए दो अलग-अलग जांच न्यायालय गठित किए हैं। जांच न्यायालय की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

Sugar Production

1123. SHRIMATI KAMLA SINHA: DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether sugar production in the country during 1994-95 season exceeded the installed capacity of the sugar industry;

(b) if so, what is the estimated output of sugar in excess of the installed capacity of the sugar industry during the 1994-95 season;

(c) the States which have shown higher production of sugar that the installed capacity;

(d) whether with the increase sugar production Government propose to reduce the import of sugar, if so, by how much; and

(c) whether there is any likelihood of decrease in the prices of sugar in the open market consequent upon the excess sugar production in the country?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) The production of sugar during 1994-95 season was 145.85 lakh tonnes (Provisional) against the total installed production capacity of 122.1970 lakh tonnes as on 30-9-1995 showing a production of 23.653 Lakh Tonnes in excess of the installed capacity.

(c) The production of sugar during 1994-95 sugar reason was higher in the States of Uttar Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Pondicherry and Goa than their installed sugar production capacities as on 30-09-1995.

(d) No further import of sugar is contemplated on Government Account at present.

(e) The free-sale sugar release mechanism is being regulated in a judicious manner in order to maintain the prices of sugar in the open market at reasonable level to the consumers as well as the producers to enable them to pay remunerative cane prices to the farmers.

चावल निर्यात में घोटाला

1124. **श्री ओ०पी० कोहलीः**
श्री जनेश्वर मिश्रः

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 फरवरी, 1996 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "फूड मिनिस्ट्री, एफ०सी०आई० एण्ड बिग गनज़ फेवरिंग राइस एक्सपोर्टर्ज़" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि निर्यातकों को कई करोड़ रुपयों का लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर परिपोषण का मूल्य कम करते हुए खाद्य मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के शीर्षस्थ अधिकारियों के स्तर पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है और चावल की कीमत कम करके जिन निर्यातकों को लाभ पहुंचाया गया है उनका ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह): (क) जी, हाँ। सरकार को इस समाचार के सम्बन्ध में जानकारी है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर यथाअनुमोदित मूल्य नीति के अनुसार निर्यात के लिए चावल की बिक्री की है। उच्च स्तरीय समिति द्वारा इस समय पंजाब में निर्यात मूल्य जानबूझकर अधिक निर्धारित किए गए थे। ताकि खरीदार/मिलमालिक स्टाक को "लेवी चेनल" में पुनः न भेज (रिसाइकलिंग) सकें। प्रथम दृष्टया समाचार में निर्दिष्ट आरोप सही नहीं हैं।

उन चावल निर्यातकों, जिन्हें चावल की सुपुर्दगी दी गई थी, की सूची विवरण में दी गई है।

विवरण

प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के उन खरीदारों की सूची जिन्हें निर्यात के प्रयोजन के लिए चावल बेचा गया था

1. भारतीय राज्य व्यापार निगम
2. खनिज तथा धातु व्यापार निगम
3. प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आॅफ इण्डिया लिमिटेड
4. मै० हमदन एक्सपोर्टर्स
5. मै० निर्मल कुमार भूरा एण्ड कम्पनी
6. मै० बिशन सरूप राम किशन
7. कुन्दन राइस मिल्स
8. एल०टी० ओवरसीज़
9. मै० बी०एस०आई० लिमिटेड
10. मै० एस०एच० ग्रुप
11. मै० तन्ना एग्रो इम्पेक्स
12. मै० कोठारी ग्लोबल
13. मै० जिन्दल निर्यात
14. मै० सम्पात इण्डस्ट्रियल कन्स० कम्पनी
15. मै० कोटक एण्ड कम्पनी
16. मै० टीना आॅयल एण्ड कैमिकल्स
17. मै० श्री रायर इम्पेक्स
18. कान्तिलाल एण्ड कम्पनी
19. मै० वी०के० एजेन्सीज़
20. तोराई ओवरसीज़ लिमिटेड
21. अनन्त त्रफीना
22. मै० सचदेवा एण्ड सन्स